सीमित एवं निजि प्रसारण हेतू प्रकाशित

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना : अधिकार से आजिविका तक

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना वस्तुस्थिती विशेषांक

जयसंमन्द कसोर्टियम त्रैमासिक पत्रिका अप्रेल – जून 2008 प्रथम अंक

संम्पादक :
जुनैद ख़ान कोमल,

सलाहकार मण्डल
विरेन लोबो
डॉ. जगदीश के. पुरोहित
मोहन डॉगी
राजकरण यादव
गणेश पुरोहित
कमलेन्द्र सिंह राठौड

शोध सहायक
पंकज पालीवाल
दया राम पटेल

छायांकन :
जगदीश मेनन
राधेश्याम सुथार

प्रकाशकः
जयसमंन्द कंसोर्टियम

कंसोर्टियम सदस्य
एस. पी. डब्ल्यू. डी.
हनुमान वन विकास समिति
प्रयत्न समिति
जागरण जन विकास समिति
समर्थक समिति

प्रेषक
जयसमन्द कंसोर्टियम,
26–27, महावीर कॉलोनी,
बेदला रोड, उदयपुर.
फोन : 0294 2450268;
jaisamand@gmail.com

आर्थिक वृद्धि दर में बढ़त और स्टाक मार्केट की आक्रमक चढाई ने भारत को दुनिया की सबसे आकर्षक अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में ला खड़ा किया है। जबकि गरीब तबका अपनी दैनिक आवष्यकताओ से जूझ रहा है। सरकारी आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत में तीन साल से कम उम्र के बच्चों में 74 प्रतिशत बच्चें रक्तहीनता के शिकार है और 50 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित है। देश की 87 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में रक्तहीनता है। देशभर में भूख से हुई सैंकड़ों मौते एक 'कुपोषण आपातकाल' को रेखांकित करती है। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 लाख से अधिक बच्चों की मौत हो रही है विश्व में हर पांच मरने वाले बच्चों में एक बच्चा भारतीय है। शिशु मृत्यु दर बांग्लादेश से भी कहीं ज्यादा है। राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे के अप्रकाशित आंकड़ों से ज्ञात होता हैं कि 'हमारी आधी ग्रामीण जनसंख्या या करीब 350 लाख लोग अफ्रिकी–सहारा क्षेत्र के औसत से भी कम खाद्य उर्जा ग्रहण कर पाते है' (पटनायक 2005)। स्थिति कितनी अगाध है यह हाल ही के वर्षों में 10,000 से अधिक कृषकों द्वारा की गई आत्महत्या (घोष 2005) और महाराष्ट्र में हुई हजारों की संख्या में बच्चों की मृत्यु से समझा जा सकता है।

इसी प्रकार बेरोजगारी की समस्या भी अत्यंत चिंताजनक है। राष्ट्रीय साम्पल सर्वे की 55वीं गणना यह दर्शाती है की रोजगार सृजन की दर मे भारी गिरावट आईं है। 'वर्तमान दैनिक स्थिति' (करंट डेली स्टेट्स) के हिसाब से रोजगार की वृद्धि दर जो 1983–1994 की अवधि में 20.7 प्रतिशत थी, 1994–2000 में गिर कर 1.07 प्रतिशत हो गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर वर्ष 1993–94 में 5.6 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1999–2000 में 7.2 प्रतिशत हो गई है। रोजगार के अवसर में कमी होने का मुख्य कारण यह रहा कि कृषि विकास के साथ–साथ रोजगार सृजन जिस गति से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। इसको यूं भी समझा जा सकता है कि जहां 1983–94 के बीच कृषि उत्पादन में 1 इकाई वृद्धि से रोजगार के अवसरों में 0.7 इकाइयों का इजाफा होता था, वहीं 1994–2000 के बीच केवल 0.01 रोजगार इकाइयां ही अर्जित हो पाई (घोष 2005)। अतः करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना ही आज की सबसे अहम प्राथमिकता है। अभी हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (रागरोगा) इन सब चिंताओं को संबोधित करने का प्रयास है। रागरोगा लंबे समय से चल रहे जनसंगठनों के संघर्ष का नतीजा है।[1]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के तहत यह स्पष्ट है कि यह अधिकार भारत की ग्रामीण जनता द्वारा इस्तेमाल किया जाना हैं । इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक जिले में गरीबी का आंकलन किया गया । इनमें से सबसे खराब स्थिति वाले जिलों में इस योजना को प्रारम्भ किया गया । अन्य जरूरी बातों के साथ – साथ इस योजना में यह बात मुख्य रूप से सामने आई हे कि न्यूनतम मजदूरी पहले से तय कर दी गई है । इसका मतलब यह है कि निर्धारित कार्य का भुगतान निर्धारित मजदूरी से कम नही किया जा सकेगा इससे पूर्व में जो योजनाऐ आई उनमें यही देखा गया की श्रमिक सदैव भुगतान को लेकर असंतुष्ट ही रहें हैं । इस योजना का सबसे मजबूत पक्ष है रोजगार गारण्टी । इसका मतलब हम ऐसे भी देख सकते है कि अन्य योजनाओं से हटकर इस योजना मे कार्य उपलब्धता नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता मुहैया करवाया जायेगा । पिछले दो वर्षो का क्षेत्रीय अनुभव हमें यह बताता है कि ग्रामीण समुदाय में पिछडा वर्ग इस योजना मे सबसे ज्यादा भागीदारी निभा रहा है ।

1 जलागम कार्य प्रशिक्षण पुस्तक, बाबा आमटे लोक सशक्तिकरण केन्द्र, समाज प्रगति सहयोग जुलाई 2006 पृ 1–7

जयसमन्द कर्सोटियम गत दो वर्षो से गिर्वा ब्लाक में तीन पंचायतो के 10 गॉवों में कार्यरत हैं। इन 10 गॉवों में एंकत्रित किये गये आंकड़ो का आंकलन करते हुए यह स्पष्ट तौर पर दिखाई देता हैं कि (जाति के आधार पर) पिछड़ा वर्ग इन गॉवों मे इस योजना में अधिकांश भागीदारी निभा रहा हैं। अन्य वर्ग (उच्च वर्ग) इस कार्यक्रम में लगभग गौण हैं। अन्य आकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 80 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिक यह कार्य अंजाम दे रही हैं। चर्चा में यह भी आया हैं कि इस योजना के चलते पलायन पर प्रभाव पड़ेगा। परन्तु हमारे आंकड़े तथा क्षैत्रीय अनुभव यही कहते हैं कि पलायन का मुद्दा इस योजना से हल नहीं हो सकता। और यदि घर की महिलाएं यह कार्य अंजाम दे रही हैं तो इन घरो में अतिरिक्त आमदनी बढी हैं।

पंचायत	गॉव	कुल घरों की संख्या	कुल जनसंख्या	अ.जा.		अ. ज जा.		अ.पि.व.		अन्य	
				जनसंख्य	घर	जनसंख्य	घर	जनसंख्या	घर	जनसंख्या	घर
वली पंचायत	वली	107	573	72	15	22	3	439	82	40	7
	वेला	159	955	.	.	941	156	.	.	14	3
	खेड़ी	132	679	85	16	336	63	241	129	17	6
फिला पंचायत	फिला	135	706	.	.	605	116	101	19	.	.
	रतनपुरा	26	129	.	.	.	.	.	.	.	.
	हाथीदा	75	312	.	.	312	75	.	.	.	.
	जमून	65	308	.	.	307	63	.	.	.	.
भलो का गुड़ा	भेकड़ा	82	416	.	.	410	81	6	1	.	.
	करगेट	151	806	13	3	781	146	12	2	.	.
	भलो का गुड़ा	90	404	14	3	215	51	175	36	.	.
	छोटा गुड़ा	31	132	27	7	92	22	13	2	.	.
योग		**1053**	**5420**	**211**	**44**	**4021**	**776**	**987**	**271**	**71**	**16**

कार्य आयोजना, कार्य प्रारंम्भ करवाने तथा भुगतान आदि में **महिलाओं** ने अपनी संगठित शक्ति को इस्तेमाल किया हैं । भलो के गुड़ा में यह संगठित शक्ति सचिव व मेट को रास्ते मे रोक कर कार्य प्रारंम्भ करने हेतु प्रारंम्भ मे सवाल व बाद मे धमकाने में काम मे ली गई । परिणाम स्वरूप अगले दिन ही रोजगार कार्य सृजन हुए।

गत वर्षों में गग्रमीण विकास से जुडी तमाम योजनाओं के कियान्वयन में एक समस्या हमेशा बनी रही वो है <u>मजदूरों का चयन</u>। यह चयन प्रकिया पूरी तरह सरपंच, सचिव, तथा **मेट** के चंगुल में थी। कौन से कार्य किस स्थान पर होंगे तथा किन लोगों को मजदूरी में चुना जायेगा, यह फैसला सरकारी योजना में निर्णायक भूमिका निभाता था। मजदूरों पर मेट कौन होगा –(जो बेहतर फायदा करवायें) यह निर्णय सरपंच तथा सचिव के फैसले का बाध्य था। यदि विकास का कार्य चुनाई या ग्राम सम्पति निर्माण का है तो मेट र्काय की गुणवत्ता, मजदूरी आदि के लिये जिम्मेदार होगा। तभी उपर तक के लोग खुश होंगे। मेट भी पारम्परिक नौकरी की भांति ही एक कार्य था । कुछ चुनिंदा लोग इसके लिये निश्चित थे। रा.गा.रो.गा. की विशेषता ही यह है की इसमे गांव के **प्राकृतिक संसाद्यनों का विकास** प्रारम्भिक दर्जा रखता है। सभी तरफ जब इस प्रकार के कार्य शुरू किये गये हैं तो यह स्वाभाविक है कि पारम्परिक मेंटों से कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह एक सुनहरा अवसर था जब आम ग्रामीणों में से मेटों का चयन किया गया। यह मेट अब अन्य योजनाओं से ज्यादा आजाद वातावरण में कार्य कर पा रहें हैं। चुंकि सभी को रोजगार मुहैया करवाना है अतः इन पर ना तो मजदूरों के चयन का दबाव है और ना ही अपने से उपर के लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी।

सरकार की तरफ से भी ईन मेटों को आवश्यक प्रशिक्षण दिलवाने की पहल हुई है। इससे पहले की योजनाओ मे सरकार ने भी इनके प्रशिक्षण को इतना आवश्यक नहीं समझा था। कुछ स्वंयसेवी संस्थाओ को प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी बनाया गया तथा मेट प्रशिक्षण आयोजित करवाये गये। अब ज्यादातर मेट प्रशिक्षित हैं । उन्हें कम से कम काम के आधार पर या नपती के आधार पर मजदूरी भरना तो आ ही गया है। साथ ही पांच के समुह में कार्य करना तथा नपती को प्राप्त करना भी सिखाया गया है ताकी पूर्ण मजदूरी दी जा सके। लेकिन अभी तक अधिकाश कार्य स्थलों पर समूह में कार्य प्रारम्भ नही हुए है। इस नई व्यवस्था के चलते हमेशा से शोषित ग्रामीणों को अब स्वयं के लिये आवाज उठाते हुए देखना रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा अनुभव है। सबसे ख़ास बात यह है कि ग्रामीण समुदाय चाहे कछुआ चाल ही सही पर अन्ततः अपनी हलाल की रोटी तथा गॉव के एकीकृत विकास के लिये बहस करने लगा है। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से इसके हाथ में एक लैंस आ गया है जिसमें से सच—झूठ के बीच का भेद तथा भृष्टाचार एवं शोषण को साफ देख सकते हैं।

भुगतान में भी सरकारी पहल देखी गई है। अब भुगतान रोकड़ की जगह बैंक या पोस्ट ऑफिस के खातों में जमा होगा। जहॉ भुगतान सम्बन्धी परेशानिया आ रही थी वे अब कुछ हद तक रोकी जा सकेगी । परन्तु इस व्यवस्था के लागु होने में अभी ओर समय लगेगा। अशिक्षित समाज के लोग खाते खुलवाने में मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। ग्रामिण बैंक शाखायें वैसे ही दो कर्मचारियों के सहारे चल रहीं हैं। वे लोग इतने खाते खोलने तथा प्रतिदिन की पूछताछ व समय का अभाव होने से बौखलाए हुए हैं। बम्बोरा गॉव में राजस्थान बैंक की शाखा हैं। इस शाखा को 6 पंचायतो (गुड़ली , फिला , बोरी , सुलावास , ओट तथा सोमाखेड़ा) के सभी ग्रामवासीयों के खाते खोलने का आदेश आया। परन्तु इस शाखा ने सिर्फ दो पंचायतो (फिला तथा बम्बोरा) को ही यह सुविधा दी। अन्य पंचायतो के खाते पूर्व से ही अन्य बैंको में खुले हुए हैं। अतः बैंक ने यह दलील दी कि वहीं जा कर रोजगार के खाते खुलवायें। अब इन पंचायतो के खाते पोस्ट ऑफिस में खाले जा रहे हैं।

ग्राम पंचायत	खाते खुलवाने की जगह	वर्तमान स्थिति
फिला	राजस्थान बैंक, बम्बोरा शाखा	प्रक्रिया जारी है।
वली	पोस्ट ऑफिस , वली	प्रक्रिया जारी है।
भलो का गुड़ा	पोस्ट ऑफिस , भलो का गुड़ा	प्रक्रिया जारी है।

01 अप्रेल से 10 जुलाई 2008 तक के कार्यो का भुगतान अभी तक नही हुआ है। क्या सरकार इस पर कोई ब्याज सहित भुगतान के लिए पहल कर सकेगी ? यही नही इस नयी भुगतान प्रणाली मे ंयह कैसे निश्चित होगा कि एक साथ एक जैसा काम करने वाले मजदूरों को समान मजदूरी मिली है या नहीं ? साथ ही मजदूरो को उनकी मजदूरी पुरी मिली या नही — इसके ंबारे में कैसे पता चलेगा ?[2]

रा.गा.रो.गा. में इंगित कार्यो की सूची में प्राकृतिक संसाधनों के संचय तथा उनके प्रबंधन पर अधिकांश कार्य लिये गये है। यदि वरीयता सूची में इन कार्यो को लिया जाये तो गांव के परिदृश्य को बदलते देर नहीं लगेगी। साथ ही संसाधनों का कुछ विकास भी होगा। परन्तु पहले दो वर्षो के अनुभव यह बताते है कि अभी भी पूर्व योजनाओं की तरह सडक निर्माण प्राथमिक वरीयता पर है। परन्तु आदिवासी बहुल क्षेत्रों में यह आवश्यक भी है ताकि यह सुदूर क्षेत्र जब तक अन्य क्षेत्रों से जुडेंगे नहीं तो विकास का बहाव रुक—रुक कर होगा। जयसमंद जल ग्रहण क्षेत्र में वैसे भी बहुत कम क्षेत्र ही एसे हैं जो दो फसलें आराम से ले पाते है। अतः इन क्षेत्रों में भूसमतलीकरण,

[2] वली ग्राम पंचायत के नरेगा कार्यो पर एक नजर, ज्ञान प्रकाश बेरवाल, जागरण जन विकास समिति, सापेटिया—उदयपुर

सिंचाई नहरों का निर्माण, कूप निर्माण तथा कूप मरम्मत आदि कार्य इन क्षेत्रों में शर्तिया ही कृषि उत्पाद बढाने तथा जीविकोपार्जन में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगें।

परियोजना क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता भी एक परेशानी है। इन सवालों का उत्तर यहां बन रहीं सूक्ष्म योजनाओं में लोगों द्वारा बहस उपरान्त ढूंढा जा रहा है।

इस वर्ष (2008–09) मे अधिकतर कार्य भूसमतलीकरण के पास हुए है। परन्तु कुछ स्थानो को छोड कर कहीं भी यह कार्य शुरु नहीं किये गये हैं। यदि वर्षा पूर्व यह कार्य हो जाते तो इस वर्षा का इस भूमि पर फायदा लिया जा सकता था। अब ज्यादातर खेतों में फसल बुवाई हो चूकी है। अब यदि कार्य आरम्भ किये गये तो कौन इसमें भागीदारी निभाएगा।

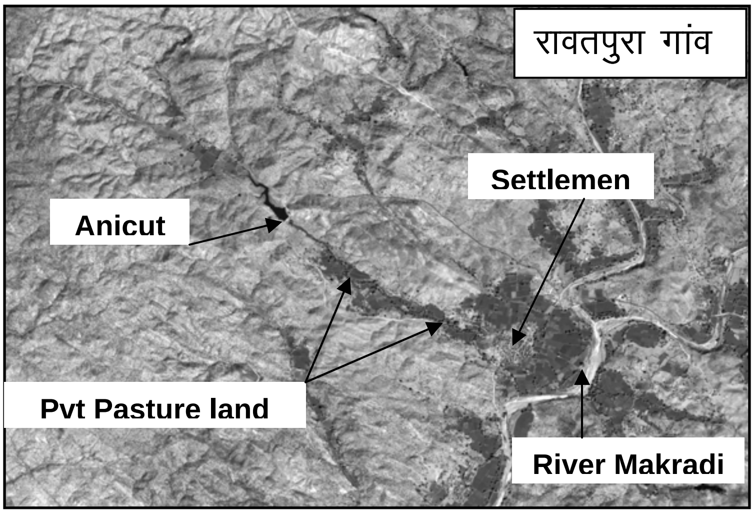

जयसमंद जलग्रहण क्षेत्र कृषि पारिस्थितिकी अनुसार गर्म–अर्दशुष्क क्षेत्रों में आता है जहां वर्षा 600 मि.मी. से 750 मि. मी. होती है। वर्षा में शुष्क दिवसों की संख्या अधिक होने से फसल जलने का खतरा सदैव मंडराता रहता है। अरावली श्रृंखला हालांकि अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है परन्तु परिभ्रांशित अवस्था में पाये जाने वाली यह पहाडियां समय के साथ – साथ और अधिक अपरदित हो रही है। छोटी – छोटी जोत, उबड खाबड धरातल, भूजल का गिरता स्तर, सतही जल की अनुपलब्धता, दूर – दूर मानव बसाव इन क्षेत्रों के विकास का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करते हैं। यदि सूक्ष्म योजनाएं निजी व सामुदायिक भूमि का संतुलन बना पाई तो निश्चित ही इन क्षेत्रों की काया पलट सकती है। प्राचीन काल से **पशुपालन** इन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण स्रोत्र रहा हैं। यहां लोगों का पशुपालन में जुडाव इसी से स्पष्ट होता है कि उदयपुर सरस दूध प्लांट का 40 प्रतिशत दुध इसी क्षेत्र से एकत्रित किया जाता है। दूध व पशुपालन में जाति के आधार पर लोग जुडे हैं। अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग ज्यादातर छोटे जानवरों से जुडाव रखते हैं। रा.गा.रो.गा.के अन्तर्गत जुडने वाले लोगों में दूध व्यापार से जुडी हुयी जातियां नहीं के बराबर हैं।

रावतपुरा गांव मकराड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां की बसावट विभिन्न जातियों के आधार पर है। नदी के किनारे तथा ढलान पर अधिकांश जमीनें डांगी समाज की है। आदिवासी परिवार ऊपरी भाग में बसे हुए हैं। जहां डांगी समाज बड़े जानवरों के साथ अपनी आजीविका चला रहा है वहीं आदिवासी परिवारो की आजीविका मजदूरी और छोटे जानवरों पर आधारित है। यह बसावट यूं ही नहीं हुई है इसके पीछे ऐतिहासिक पहलु भी है। आदिवासी परिवार अलग–अलग तथा जंगलों के समीप रहते आये हैं। वहीं पानी तथा चारे की आवश्यकता के चलते डांगी परिवार नदी के किनारे समतल तथा उपजाऊ भूमि पर बसे हुए हैं। यह बसावट नया एनिकट बनने के साथ भी देखी गयी कि एनीकट के आस–पास की जमीन पर डांगी परिवारों के खेत है तथा उससे दूर आदिवासी परिवारों के खेत है। आदिवासी परिवार अभी भी पीने के पानी के लिए उतने ही परेशान है जितना एनीकट बनने से पहले थे।

हमारे कार्य क्षेत्र मे दो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण उभरते हैं – पहला इन क्षेत्रों में सूखा एक स्थाई बिमारी है। दूसरा चारे की अनुप्लब्धता। यदि सम्पूर्ण कार्यो मे दिये गए पैसे का आंकलन किया जाए तो **अकाल निवारण** कार्यो में पांच प्रतिशत भी पैसा आवंटित नहीं किया गया। साथ ही चारागाह से जुडी एक भी योजना रा.गा.रो.गा. के अन्तर्गत अभी तक हमारे क्षेत्रों में शुरु नहीं की गई है। जो कार्य रा.गा.रो.गा. में किये जा रहे हैं उनसे भी छोटे जानवरों के लिये चारा उपलब्ध हो पायेगा इस पर संदेह ही हैं।

रा.गा.रो.गा. में सबसे महत्वपूर्ण विषय है महिलाओं की समान भागीदारी तथा समान मजदूरी। यह कानून इस योजना में महिलाओं की भागीदारी की वकालत करता है। इसके हक में हमारे क्षेत्र में देखा गया है कि 85 से 95 प्रतिशत महिलाएं रा.गा.रो.गा. के अन्तर्गत कार्यरत है।

रा.ग.रो.गा. कार्यो में महिला भागिदारी (राज्यो के अनुसार) 2006–2007[3]

राज्य	रा.ग.रो.गा. कार्यो में महिला भागिदारी का :	राज्य	रा.ग.रो.गा. कार्यो में महिला भागिदारी का :	राज्य	रा.ग.रो.गा. कार्यो में महिला भागिदारी का :
राजस्थान	**67**	उडिसा	36	आन्ध्र प्रदेश	55
असम	32	हिमाचल प्रदेश	12	हरियाणा	31
मध्यप्रदेश	43	उत्तराखण्ड	30	तमिलनाडु	81
उत्तर–पूर्व	49	कर्नाटक	51	बिहार	17
छत्तिसगढ	40	झारखण्ड	28	गुजरात	50
उत्तरप्रदेश	17	जम्मु–कश्मीर	4	पंजाब	38
पश्चिम बगांल	18	महाराष्ट्र	37	केरल	66
भारत	**40**				

स्त्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

गत दो वर्षो का अनुभव यह बतलाता है कि कुछ जगह महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी प्राप्त हुई है। यह भी देखा गया हैं कि इन कार्यो में ज्यादातर महिलायें तथा परिवार के अपेक्षाकृत वृद्ध यहां कार्य कर रहे है। समूहों में कार्य करने का प्रशिक्षण दिये जाने के बाद चार महिलायें व एक पुरुष का समूह बनाया गया। या तो यह पुरुष महिलाओं के साथ समझौता कर रहा है या महिलाएं औसत मजदूरी में पुरुष के साथ समझौता कर रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग निजी भूमि पर फलोत्पादन हेतु केशवबाडी कार्यक्रम भी एक पहल है। इसमें भलों का गुडा क्षेत्र में भी लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। कुल 22 लाभार्थियों को 704 खड्डे खुदवाये गये तथा पौधे वितरित किये गये। इसमें नींबू, आंवला तथा आम के पौधे दिये गये। पौधे वितरण में अनावश्यक देरी तो फिर भी सही जा सकती है परन्तु लाभाथियों को **हरी टहनियां** पौधे के रुप में वितरित कर दी गई। इस छल का परिणाम यह निकला कि आज पूरे क्षेत्र में गिनती के वृक्ष (50 आम 24 नींबू) जिंदा है, बाकि पौधे वितरण के कुछ दिन बाद ही मर गये। इस केस का गहराई से अध्ययन करने पर यह पाया गया कि जहां खड्डे खोदने की जगह निश्चित की गई थी वो पथरीली जमीन थी तथा वहां घास का तिनका भी पैदा नहीं होता है तो फलदार पौधे तो मरने ही थे।

[3] NREGA Status Report; Aster Peng, Intern, SPWD - Udiapur

गतवर्ष के भुगतान पर नजर डाले तो आंकलन में यह स्पष्ट तौर से निकल कर आता है कि फिला पंचायत में औसत भुगतान 50 रु. से 53 रु. के मध्य हुआ है। यह औसत भुगतान चौकाने वाला अंक दिखता है। इससे सवाल यह उठता है कि यदि औसत भुगतान 50 रु. से 53 रु. के मध्य है तो बाकी का पैसा कहां गया?

औसत मजदूरी भूगतान दर . ग्राम पंचायत फिला रू ग्राम हाथीदा

क्रम संख्या	जॉब कार्ड नं.	परिवार के मुखिया का नाम	युनिट संख्या	परिवारो की श्रेणी			कार्य दिवस	प्राप्त भुगतान राशि	कार्य का नाम	औसत भुगतान दर
				अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.				
1	11	शंकर /भगा मीणा	2	0	1	0	88	4854	सडक रतनपुरा	55.16
2	88	लोगर/कालु मीणा	2	0	1	0	70	3358	WHS	47.97
3	95	वीरा/नारा मीणा	2	0	1	0	13	603	सडक रतनपुरा	46.38
4	96	कालु /पुरा मीणा	2	0	1	0	50	2339	सडक रतनपुरा	46.78
5	97	रामलाल/पुरामीणा	4	0	1	0	100	4696	WHS	46.96
6	98	वालचन्द/कालु मीणा	2	0	1	0	99	5502	सडक रतनपुरा	55.58
7	100	कालु /भगा मीणा	2	0	1	0	89	4214	WHS	47.35
8	102	चतरा/काना मीणा	3	0	1	0	99	4880	सडक रतनपुरा	49.29
9	103	परता/कालु मीणा	2	0	1	0	97	4831	WHS	49.80
10	104	प्रेमशंकर/केसामीणा	4	0	1	0	99	4925	WHS	49.75
11	105	भंवरलाल/चतरा मीणा	2	0	1	0	100	4971	सडक रतनपुरा	49.71
12	109	लालु/मोडा मीणा	3	0	1	0	100	5581	WHS	55.81
13	111	अमरसिंह/लक्ष्मण सिंह	2	0	0	0	99	4521	WHS	45.67
14	113	जयसिंह/लक्ष्मणसिंह	4	0	0	0	100	4723	WHS	47.23
15	114	भीमसिंह/अमरसिंह	2	0	0	0	50	2782	WHS	55.64
कुल							**1253**	**62780**		**50.10**

औसत मजदूरी भूगतान दर . ग्राम पंचायत फिला रू ग्राम रतनपुरा

कम संख्या	जॉब कार्ड नं.	परिवार के मुखिया का नाम	युनिट संख्या	परिवारो की श्रेणी			कार्य दिवस	प्राप्त भूगतान राशि	कार्य का नाम	औसत भूगतान दर
				अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.				
1	25	हामा/परता मीणा	3	0	1	0	98	4475	सडक	45.66
2	32	कन्ना/दोला मीणा	2	0	1	0	99	5171	एनीकट	52.23
3	36	वरदीसिंह/माधोसिंह	2	0	0	0	55	2726	एनीकट	49.56
4	43	धन्ना/रोडा मीणा	3	0	1	0	85	6205	वन	73.00
5	45	नाथु/कालु मीणा	3	0	1	0	60	3197	सडक	53.28
6	46	लोगरी/पेमा मीणा	1	0	1	0	100	6474	वन	64.74
7	53	कन्ना/देवा मीणा	2	0	1	0	100	4995	सडक	49.95
8	55	वेला/माना मीणा	2	0	1	0	60	3243	सडक	54.05
9	60	रामसिंह/मोडसिंह चुंडावत	2	0	0	0	100	4910	सडक	49.10
10	61	खेता/माना मीणा	2	0	1	0	98	5169	सडक	52.74
11	62	नोजा/कीका मीणा	4	0	1	0	97	4754	एनीकट	49.01
12	68	शंकर/देवा मीणा	3	0	1	0	98	4804	एनीकट	49.02
13	70	जसवंतसिंह/रूपसिंह	2	0	0	0	49	2436	एनीकट	49.71
14	73	भगा/मन्ना मीणा	3	0	1	0	102	5037	सडक	49.38
15	75	मेघा/नोजी डांगी	2	0	0	1	60	3228	सडक	53.80
कुल							**1261**	**66824**		**52.99**

कुल उपलब्ध जॉब कार्ड के सामने कार्य करने वालों की संख्या वैसे ही कम है। उपर से यदि भुगतान भी कम है तो कुल कार्यो का तथा आर्थिक स्वीकृति का क्या हुआ ? जो लोग वास्तव में 100 दिन कार्य कर पा रहे है तो अतिरिक्त दिनों में क्या उन्हे ओर कार्य मिल सकता है (जबकि बहुत से लोग इस योजना से जुडे ही नहीं हैं) तो

कार्य की वैधानिक गारण्टी का क्या होगा जिसमें गरीब कार्य मांगने का अधिकार रखता है साथ ही इस बात की गारण्टी जिसमे मजदूर द्वारा कार्य की मांग यह कार्यक्रम सूनिश्चित करेगी ना कि ऑफिसरों द्वारा कार्य की पूर्ति।

2008 – 09 के लिए प्रस्तावित कार्य

विवरण	भलो का गुडा		भेखडा		छोटा गुडा		करगेट		कुल	
	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट
जल संरक्षण कार्य	2	9.5	5	15.5	1	3	1	3	**9**	**31**
पुनर्वनीकरण तथा केशव बाडी योजना	1	1.56	1	0.78	1	0.78	3	3.68	**6**	**6.8**
सिंचाई / पेयजल योजना	3	15	2	4.5	2	4.5	3	7	**10**	**31**
भूमि विकास	2	8	1	2.5	1	2.5	1	2.5	**5**	**15.5**
सडक कार्य	3	8.75	2	6.25	1	3.75	3	8.75	**9**	**27.5**
कुल योग	**11**	**42.81**	**11**	**29.53**	**6**	**14.53**	**11**	**24.93**	**39**	**111.8**

2008–09 के लिए स्वीकृत कार्य

विवरण	भलो का गुडा		भेखडा		छोटा गुडा		करगेट		कुल	
	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट
जल संरक्षण कार्य	1	2	1	5	0	0	1	2	**3**	**9**
वनीकरण तथा केशव बाडी योजना	1	2.4	0	0	0	0	1	2.4	**2**	**4.8**
सिंचाई / पेयजल योजना	3	20	0	0	0	0	3	11	**6**	**31**
भूमि विकास	3	12	2	4.5	0	0	2	9	**7**	**25.5**
सडक कार्य	0	0	0	3	0	0	1	3	**1**	**6**
कुल योग	**8**	**36.4**	**3**	**12.5**	**0**	**0**	**8**	**27.4**	**19**	**76.3**

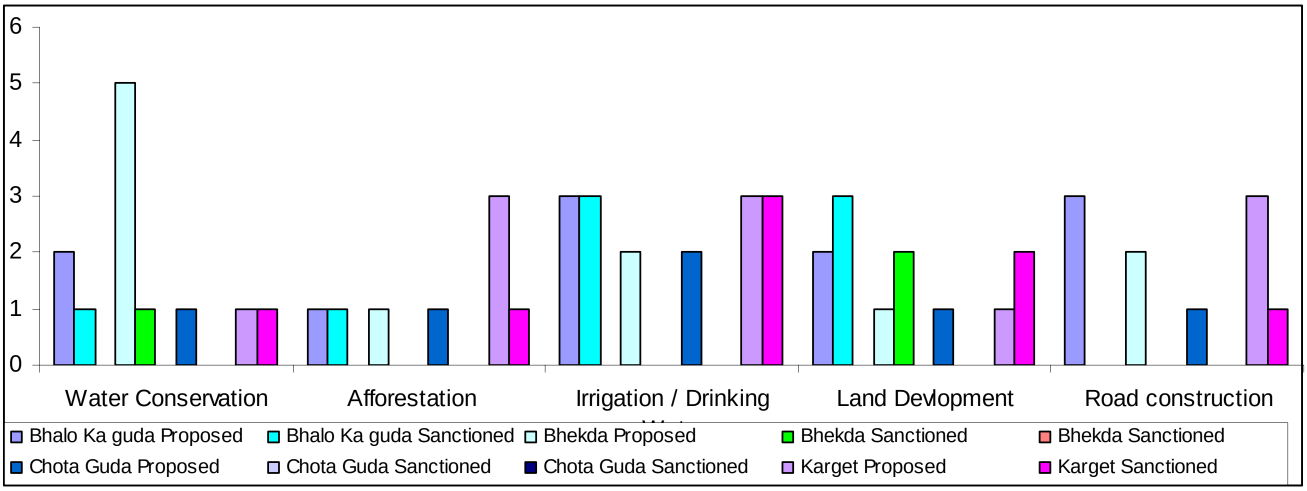

पंचायत भलों का गुडा (पंचायत के प्रस्तावित वार्षिक कार्य)

विवरण	श्रम		सामग्री		कुल (राशि लाखों में)	कार्य दिवस
	राशि (लाखों में)	कुल का %	राशि (लाखों में)	कुल का %		
भलों का गुडा	26.96	**62.96**	15.86	**37.04**	42.82	35932
भेखडा	14.77	**50.00**	14.77	**50.00**	29.54	18001
छोटा गुडा	9.02	**62.04**	5.52	**37.96**	14.54	11836
करगेट	16.25	**65.16**	8.69	**34.84**	24.94	21741
पंचायत स्तर	**67**	**62.96**	**44.84**	**37.04**	**111.84**	**87510**

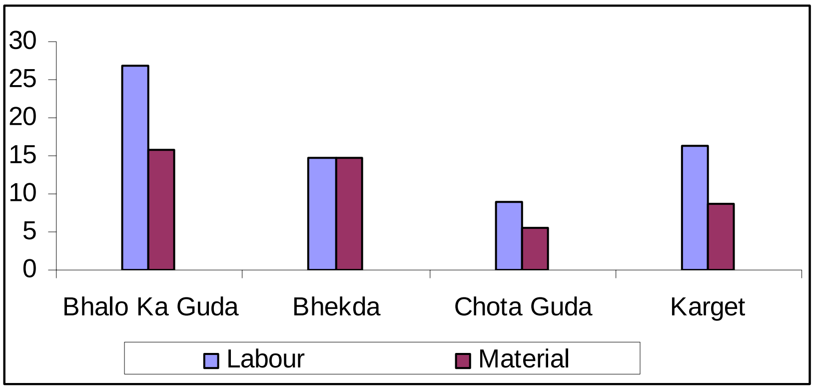

श्रृद्धांजली

युवा झारखण्ड कार्यकर्ता **श्री ललित मेहता** की 14 मई 2008 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गयी। वे झारखण्ड में रा. ग. रो. गा. योजना के सफल क्रियान्वन में सक्रिय भुमिका निभा रहे थे। हम जयसमन्द कंसोर्टियम की ओर से दिवंगत आत्मा को अश्रुपुरित श्रृद्धाजंली अर्पित करते है।

संदर्भ

1. जलागम कार्य प्रशिक्षण पुस्तक, बाबा आमटे लोक सशक्तिकरण केन्द्र, समाज प्रगति सहयोग जुलाई 2006 पृ 1–7
2. केस स्टडी, केशव बाडी भल्लों का गुडा, हेम कुंवर, हनुमान वन विकास समिति, साकरोदा
3. वली ग्राम पंचायत के नरेगा कार्यो पर एक नजर, ज्ञान प्रकाश बेरवाल, जागरण जन विकास समिति, सापेटिया–उदयपुर
4. व्यक्तिगत अध्ययन (मेट) पंकज पालीवाल जागरण जन विकास समिति, सापेटिया–उदयपुर
5. भुगतान विश्लेषण, दया राम, प्रयत्न समिति, बम्बोरा
6. NREGA Status Report; Aster Peng, Intern, SPWD - Udiapur